न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 16/2019 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00055

उनवान

1. राजस्थान राज्य तामील जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय धौलपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार, तहसील धौलपुर जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. कालीचरण उम्र करीब 67 वर्ष पुत्र स्व0 श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पचगॉव तहसील धौलपुर व जिला धौलपुर। .
2. हरओम शर्मा उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र श्री लज्जाराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी हुण्डावाल रोड धौलपुर।
3. मुकेश कुमार त्यागी उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामबाबू त्यागी निवासी कलैक्ट्रेट के सामने वाडी रोड धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.06.2018 प्रकरण संख्या 05/2018 उनवान कालीचरण बनाम सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक रैस्पो0 ।

निर्णय दिनांक :–26.07.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय दिनांक 07.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज एवं तरमीम नक्शा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 441 के साथ 442 मिन 443 मिन 467 मिन को जोडते हुये नया खसरा नम्बर 639 रकवा 5.07 बीघा कायम किया। आराजी खसरा नम्बर 441 रकबा 0–16 बीघा ही हाल खसरा नम्बर 639 में जोडा शेष रकबा 0–15 बीघा दक्षिण हिस्से में तनाजा भूमि के रूप में छोड दिया गया है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो खसरा नम्बर 639 रकवा 5–07 बीघा कायम किया गया है। उसका न्यायालय हाजा से वादी/रैस्पो0 संख्या 01 कालीचरन स्व0 रामबाबू तथा भगवन्तप्रसाद के वारिसान के मध्य दिनांक 22.10.2009 को बॅटवारा हुआ है। वर्तमान में खसरा नम्बर 639/2 का खसरा नम्बर 961/639 रकबा 3–09 बीघा दर्ज है। इस आधार पर वादीगण/रैस्पो0 द्वारा 639/2 का रकवा 0–15 बीघा पडोस के खसरा नम्बर 707 रकबा सिवायचक में से कम कर 639/2 में जोडने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। वादीगण/रैस्पो0 का यह कथन सत्य नहीं है कि बन्दोबस्त विभाग ने मौके पर हुये परिवर्तनो को शामिल करते हुये नया खसरा नम्बर 639 रकवा 5.07 बीघा बनाया गया था। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 441 जिसका पूर्व में रकवा 1.11 बीघा था 16 विस्वा खसरा नम्बर 639 में शामिल किया गया व 15 विस्वा खसरा नम्बर 638 जो कि भगवन्त स्वरूप रामप्रसाद पिसरान बाबूलाल वगै0 की खातेदारी तत्सयम था शामिल किया गया था। वर्तमान में 441 की 15 विस्वा खसरा नम्बर 707 जो कि सरकारी भूमि शामिल करने की रिपोर्ट गलत पेश की गई। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि राजस्व मण्डल के संशोधित परिपत्र संख्या 9611–96 दिनांक 24.10.2016 के अनुसार शहरी निकाय का अथवा राजकीय हित निहित हो उन प्रकरणो का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से नहीं किया जायेगा, निर्देशित किया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्याय आपक द्वार 2018 में किया गया है। दिनांक 07.06.2018 को शिविर न्याय आपके द्वार में तहसीलदार धौलपुर स्वयं कैम्प में उपस्थित थे। परन्तु उनकी कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी व सीधे ही पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट लेकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो सन्देह उत्पन्न करता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट का यह कथन असत्य है कि उनकी प्रकरण में कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी है। जबकि निर्णय में स्पष्ट अंकित है कि पैरोकार सरकार तहसीलदार धौलपुर की ओर से रिपोर्ट पेश की गयी है एवं उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि अनुरूप सही है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि साविक खसरा नम्बर हिस्सा/शेष रकवा 15 विस्वा हाल खसरा नम्बर 707 एवं 639 में सम्मिलित नहीं किया गया है। रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत तरमीमी नक्शे एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार यह रकवा किसी भी खसरा नम्बर में सम्मिलित नहीं होना पाया गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अन्त में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.05.2019 को करीब 11 माह देरी से धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र (मय शपथ–पत्र) के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपील पेश करने में हुई देरी का कारण प्रकरण जिला कलक्टर, धौलपुर को वास्ते अग्रिम कार्यवाही भेजे जाने एवं जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 14.12.2018 को प्रकरण में अपील करने के आदेश दिये जाने के उपरान्त अपील तैयार करने एवं अपीलाण्ट तहसीलदार धौलपुर के पास उपपंजीयक धौलपुर, निर्वाचन आदि अतिरिक्त कार्यभार होना अंकित किया गया है। अतः हम न्यायहित में तकनीकी बिन्दु पर वादकरण समाप्त करने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण वांछनीय समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब पर उदार दृष्टि अपनाकर, क्षमा करते हुए अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट तहसीलदार धौलपुर का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजस्थान के सभी जिलो में स्थित राजस्व भूमि का लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निर्णित करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया गया है एवं उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के संशोधित–परिपत्र 9610–961 दिनांक 22.04.2016 में स्पष्ट अंकित है कि "राजस्थान के सभी जिलो में नगरपालिका/नगर परिषद/नगर सुधार न्यास क्षेत्रो एवं जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित राजस्व भूमि का लोक अदालत के माध्यम से केसेज निर्णित करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा" के स्थान पर "शहरी निकाय का अथवा राजकीय हित निहित हो उन प्रकरणो का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से नहीं किया जायेगा" परन्तु हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में निर्णित किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि " पैरोकार सरकार तहसीलदार धौलपुर की ओर से रिपोर्ट पेश की गयी" परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 पर तहसीलदार धौलपुर के हस्ताक्षर अंकित ना होकर पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक के हो रहे हैं। जबकि प्रकरण में तहसीलदार धौलपुर पैरोकार सरकार के रूप में पक्षकार थे। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार धौलपुर को बिना सुने अथवा बिना रिपोर्ट लिये, सीधे पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट ली जाकर, राजस्व लोक अदालत की हडबडी में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये विधिअनुसार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.08.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.7.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर